प्रेस नोट
दिनांक 22.07.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत दुःखहरण नाथ मंदिर का किया निरीक्षण ड्यूटी पर लगे अधिकारी/कर्मचारीगणों को दिए आवश्यक दिशा–निर्देशः–

गोण्डा। आज दिनांक 22.07.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत दुःखहरण नाथ मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। तत्पश्चात श्रावण माह के दृष्टिगत लगी बैरिकेटिंग, मन्दिर तथा दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल की सतर्कता को परखा गया एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए कि दर्शनार्थियों के दर्शन–पूजन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न हो, सदैव सतर्क रहते हुए ड्यूटी का निस्पादन करे जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना न घटित होने पाये। महोदय द्वारा मन्दिर परिसर एवं आस–पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चेक कर सम्बन्धित अधि0/कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा नगर कोतवाल को बैरिकेटिंग, रूट चार्ट, पार्किंग व्यवस्था व अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विशेष दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा श्रद्धालुओं से वार्ता कर बताया कि जलाभिषेक व महिलाओं के दर्शन पूजन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है पर्याप्त संख्या में पुरूष एवं महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगायी गयी है। महोदय द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त/भ्रमण कर श्रद्धालुओं एवं राहगीरों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया और आपसी भाई–चारा के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से जलाभिषेक को सकुशल सम्पन्न कराने की अपील की गयी।

इस अवसर पर प्र0नि0 को0 नगर सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.07.2024, संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील तरबगंज में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया–

आज दिनांक 22.07.2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में तरबगंज तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा–निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना–पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, उपजिलाधिकारी तरबगंज, क्षेत्राधिकारी तरबगंज, प्र0नि0 तरबगंज सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 22.07.2024</u>

<u>थाना मनकापुर पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–339/24, धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र लालचन्द्र नि0 ग्राम राजापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को राजापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 05.07.2024 को थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की को विपक्षी मनोज बहला–फुसला कर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 अजित कुमार मौर्य को सुपुर्द की गयी थी। आज दिनांक 22. 07.2024 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार को राजापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
01. मनोज कुमार पुत्र लालचन्द्र नि0 ग्राम राजापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–339/24, धारा 137(2),87 बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>
01. उ0नि0 अरविन्द कुमार मय टीम।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 22.07.2024

थाना छपिया पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोप में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त राजकुमार पुत्र देवीदीन नि0 महरागौरा थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 किलो की गेहू की बोरी को बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 22.07.2024 को वादी सुनील कुमार वर्मा पुत्र गंगाराम वर्मा नि0 ग्राम असनहरा थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 21/22.07.2024 की रात्रि वह अपने खेत में गया था। जब वह खेत से वापस घर आया तो उसकी गैलरी में रखी 40 किलो की गेहू के बोरी गायब थी। वादी की तहरीर पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना छपिया पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 किलो की गेहू की बोरी को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01 राजकुमार पुत्र देवीदीन नि0 महरागौरा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–199/24, धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 40 किलो की गेहू की बोरी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.07.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्तगण को हुई 20 का सश्रम कारावास व रूपए 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई है।

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचाऱ करने के आरोप में अभियुक्त आकाश उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना खोड़ारे के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने 20 वर्ष के कारावास व रू 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. आकाश उर्फ राजकुमार सेन पुत्र कोमल प्रसाद सेन नि0 संजयनगर थाना आधार ताल जिला जबलपुर राज्य मध्यप्रदेश।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–204/2019, धारा 363,366,376,506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।